प0स0–15/डी0एल0ए0, समस्तीपुर (पुल व पहुंच पथ)–202/2013–3006/रा0,पटना–15, दि0–23/12/2013

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

सं0.. डी0 एल0 ए0 समस्तीपुर दिनांक..............................

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–रहीमपुर अंगारघाट, परगना–सरैसा, थाना–समस्तीपुर, थाना नं0–222, जिला–समस्तीपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् समस्तीपुर जिलान्तर्गत अंगारघाट में बूढ़ी गंडक नदी पर निर्माणाधीन उच्चस्तरीय आर0 सी0 सी0 पुल एवं पहुँच पथ निर्माण हेतु भू–अर्जन के लिए सरकारी खर्च पर भूमि का ग्रहण अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा घोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम–रहीमपुर अंगारघाट के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कम वो वेश **0.99** एकड़ के बराबर है और जिसका खेसरा सं0 अंश 2174, 2175, 2177 है।

तथा जिसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:–

उत्तर :– अंश खेसरा सं0 2174 एवं 2177

दक्षिण :– अंश सड़क खेसरा सं0 2182, 2175 एवं 2177

पूरब :– अंश खेसरा सं0 2179

पश्चिम :– वर्तमान तटबंध एवं सड़क खेसरा सं0 2182 अंश।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़नेवाली कोयला, लोहा स्लेट या अन्य खनिजों के खानों और खनिजों के नाम व काम जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है इसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो तो ये किये जाएंगे।

यह अधिघोषणा अधिनियम 1, 1884 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन (तथा बिहार अधिनियम 11, 1961 द्वारा संशोधित) उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।

भूमि का नक्सा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के अवर सचिव

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर।

अपर समाहर्त्ता, समस्तीपुर।

समाहर्त्ता समस्तीपुर।

P.T.O

-3006/रा०
ज्ञापांक ..../डी० एल० ए० समस्तीपुर पटना -1- दिनांक -23-12-13

प्रतिलिपिः– (1) निदेशक, सूचना जन सम्पर्क विभाग पटना को घोषणा के प्रारूप के तीन प्रतियों के साथ स्थानीय दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरान्त प्रेस कतरन जिला भू–अर्जन कार्यालय समस्तीपुर को भेज दें।

(2) समाहर्त्ता, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) जिला गजट पदाधिकारी, समस्तीपुर को घोषणा के दो प्रारूप के साथ जिला गजट के अलगे असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशनोपरान्त इसकी 5 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को तथा 5 प्रतियाँ जिला भू–अर्जन पदाधिकारी समस्तीपुर को भी भेज दें।

(4) आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

(5) जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अनु० :– यथोक्त।

18/12/13
सरकार के अवर सचिव